जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत

तृतीय बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि	:	11 अक्टूबर, 2018 (दिन गुरूवार)
समय	:	पूर्वान्ह् 04:00 बजे
स्थान	:	सर्किट हाउस, काठगोदाम, जिला नैनीताल।
फोन	:	05965– 230285
फैक्स	:	05965– 230295

e-mail I.D.- dm-chp-ua@nic.in

दिनांक 11.10.2018 दिन गुरूवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की तृतीय बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1– श्री राजीव रौतेला, आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल – अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, जिलाधिकारी, चम्पावत – उपाध्यक्ष
3– श्री एस. के. पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून – सदस्य (पदेन)
4– श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत– (सचिव, वित्त उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि) सदस्य (पदेन)
5– श्री पी.सी. लोहनी, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम, पिथौरागढ़ (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम देहरादून के प्रतिनिधि) – सदस्य (पदेन)
6– सुश्री सीमा विश्वकर्मा, प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, चम्पावत – नामित सचिव
7– श्री अभिनव कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत (जिलाधिकारी द्वारा नामित) –– सदस्य (पदेन)
8– श्री एस.एम. श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमाऊँ, सम्भागीय नियोजन, खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये प्राधिकरण की तृतीय बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

मद संख्या–03.01
द्वितीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः–

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक–08.08.2018 की कार्यवाही को बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित उक्त द्वितीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः द्वितीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी तथा निर्देश दिये गये कि समस्त निर्णयों का कियान्वयन सुनिश्चित करें।

मद संख्याः– 03.02
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में भवन मानचित्र से सम्बन्धित शुल्क अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध मेंः–

पूर्व में विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण हेतु लागू शासनादेश में संशोधन करते हुये आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–297/V–2/06 (आ.)2016/2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा शुल्क का पुनः निर्धारण किया गया है जिसमें टिप्पणी संख्या–01 में यह अंकित है कि मैदानी क्षेत्रों में निर्मित/विकसित क्षेत्र में भू–उपविभाजन शुल्क 01 प्रतिशत में एवं अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत

देय होगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत देय होगा। शासनदेश में यह उल्लेख किया गया है कि शासनादेश जारी होने की तिथि से समस्त विकास प्राधिकरणों में उक्त संशोधित शुल्क प्रभावी होंगे। शासनादेश में टिप्पणी संख्या–04 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त यदि अन्य शुल्क आवश्यक है तो प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय। टिप्पणी संख्या–05 में उल्लेख किया गया है कि यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित बोर्ड प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय।

दिनांक 08 अगस्त, 2018 को प्राधिकरण बोर्ड की द्वितीय बोर्ड बैठक के अन्य बिन्दु संख्याः–04 में उपविभाजन शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि भवन मानचित्रों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर निम्नानुसार उपविभाजन शुल्क लिया जाय–

क्र. सं.	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल (भूखण्ड)	नगरीय क्षेत्र	बाह्य क्षेत्र
1	एकल आवासीय	200 वर्गमीटर 200–2000 वर्गमीटर तक	1 प्रतिशत 2 प्रतिशत	1 प्रतिशत 2 प्रतिशत
2	एकल आवासीय के अतिरिक्त अन्य निर्माण	2000 वर्गमीटर तक	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3	समस्त आवासीय एवं गैर आवासीय निर्माण	2000 वर्गमीटर से अधिक	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
नोट– उक्त दरों का पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत ही उपविभाजन शुल्क देय होगा।				

अनुलग्नक–2 पर संलग्न शासनादेश को अंगीकृत किये जाने एवं बोर्ड की विगत बैठक में उक्तानुसार निर्धारित भू–उपविभाजन शुल्क शासनादेश के टिप्पणी संख्या–05 के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– सर्वसम्मति से शासनादेश को अंगीकृत करते हुये शासनादेशानुसार ही मानचित्रों का निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्याः– 03.03:– निर्मित/विकसित क्षेत्र तथा अविकसित क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में:–

शासनादेश संख्याः–297/V–2/17–(आ.)/2018, दिनांक–10 सितम्बर, 2018 के टिप्पणी क्रमांक–1 में मैदानी क्षेत्रों के निर्मित/विकसित क्षेत्र में भू–उपविभाजन शुल्क 01 प्रतिशत में एवं अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत देय होगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत देय होने का प्राविधान है। उपरोक्त शासनादेश में निर्मित/विकसित क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट परिभाषित नही किया गया है।

इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत अन्तर्गत जनपद चम्पावत की नगर पालिका परिषद, चम्पावत, टनकपुर एवं नगर पंचायत, लोहाघाट, बनबसा को निर्मित/विकसित क्षेत्र में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :– सर्वसम्मति से स्थानीय निकाय की सीमा क्षेत्र को मात्र उपविभाजन शुल्क आरोपण हेतु विकसित क्षेत्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्देश दिये गये कि निर्मित क्षेत्र का निर्धारण शीघ्र किया जाय जिस पर निर्मित क्षेत्र के अनुसार निर्धारित विनियमों के तहत मानचित्रों का निस्तारण किया जा सकें।

अन्य बिन्दु संख्याः– 01,

मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा शमन के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 20 अगसत, 2018 के सम्बन्ध में :–

मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या–47/2013, श्री मनमोहन लखेड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18 जून, 2018 को पारित आदेश बिन्दु–V– " The State Govt. is directed to carryout necessary amendment in the Building bye-laws Nagar Nigam, Dehradun and MDDA that no unauthorized construction is compounded to arrest the tendency of the people to raised unauthorized construction by paying measure compounding fee. The compounding of entire unauthorized construction is against rule of law"

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक–08..08.2018 के अन्य बिन्दु संख्याः–05 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शमन उपविधि में किसी प्रकार का संशोधन विचारणीय नही है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या–47/2013 में दिनांक–18.06.2018 को पारित आदेशानुसार शमन उपविधि के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। अवैध निर्माणों के शमन सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

राज्य सरकार की ओर से मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या– (एस)–8360/2018, " In so far as direction no. (v) is concerned, we are of the opinion that such as direction is impermissible as the court cannot direct the authorities to make byelaws in a particular manner. In the building byelaws which have been prepared by the appellant, There is a provisions for compounding certain kinds of regular construction if they are with in the permissible which are treated as uncompoundable. This takes care of the problem and, therefore, there is no need to pass such a direction. We, therefore, set aside direction no. (v)."

अतः उक्तानुसार विकास प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2017 के मद संख्या–01.11 में वर्णित प्राविधानों एवं शमन उपविधि के बिन्दु–9 में भू–उपविभाजन शुल्क मद संख्या–05.04 के अनुसार आरोपित करते हुये शमन उपविधि के अनुसार अनधिकृत निर्माणों का समाधान किया जा सकता है। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अधिवक्ताओं से विधिक राय प्राप्त करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय तथा प्राधिकरण द्वारा प्रथम बोर्ड बैठक में अंगीकृत/स्वीकृत शमन उपविधि में उप विभाजन शुल्क शासनादेश के अनुसार आरोपित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद प्रदान करने के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।